पत्रांक 15/एम 1–29/2006
बिहार सरकार
शिक्षा विभाग

प्रेषक,

अरशद फिरोज, बि0प्र0से0
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

*द्वारा :– आंतरिक वित्तीय सलाहकार।

पटना, दिनांक 2018

विषयः माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 1601–1602/2004 में दिनांक 18.05.2007 को पारित न्यायादेश में वर्णित observation के आलोक में राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों में दिनांक 10.02.1989 तक नियुक्त तदर्थ व्याख्याताओं की अर्हता आदि की जाँच हेतु गठित समिति के दैनिक व्ययों की पूर्ति हेतु वित्तीय वर्ष 2018–19 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अन्तर्गत रू0 4,72,000/– (चार लाख बहत्तर हजार) मात्र सहायक अनुदान व्यय की स्वीकृति।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 1601–1602/2004 में दिनांक 18.05.2007 को पारित न्यायादेश में वर्णित observation के आलोक में राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों में दिनांक 10.02.1989 तक नियुक्त तदर्थ व्याख्याताओं की अर्हता आदि की जाँच हेतु गठित समिति के दैनिक व्ययों की पूर्ति हेतु वित्तीय वर्ष 2018–19 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अन्तर्गत रू0 4,72,000/– (चार लाख बहत्तर हजार) मात्र सहायक अनुदान व्यय की स्वीकृति प्रदान की गई है।

2. स्वीकृत की जा रही राशि के व्यय का विकलन मांग संख्या 21, मुख्य शीर्ष 2202 सामान्य शिक्षा उपमुख्य शीर्ष– 03 विश्वविद्यालय तथा उच्चत्तर शिक्षा, लघुशीर्ष 102–विश्वविद्यालयों को सहायता, उपशीर्ष 0001 पटना विश्वविद्यालय विपत्र कोड 21-2202031020001, विषय शीर्ष 0001. 31. 06 सहायक अनुदान–गैर वेतन अन्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017–18 में किया जाएगा।

3. स्वीकृत की जा रही राशि की निकासी उप सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) द्वारा नया सचिवालय कोषागार; विकास भवन, बेली रोड़, पटना से करके पटना विश्वविद्यालय, पटना के पी0एल0 खाते (PLA 307) में जमा किया जाएगा।

4. यह राशि कुलपति, पटना विश्वविद्यालय, पटना के पत्रांक 307 दिनांक 13.06.2018 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है। अतः स्वीकृत की जा रही राशि का उपयोग विभागीय अधिसूचना संख्या 1342 दिनांक 14.07.2017 (विभागीय आदेश संख्या 979 दिनांक 30.05.2018) से गठित समिति द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 1601–1602/2004 में दिनांक 18.05.2007 को पारित न्यायादेश में वर्णित observation के आलोक में राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों में दिनांक 10.02.1989 तक नियुक्त तदर्थ व्याख्याताओं की अर्हता आदि की जाँच हेतु गठित समिति के दैनिक व्ययों के लिए किया जाएगा।

5. स्वीकृत की जा रही राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र पटना विश्वविद्यालय, पटना द्वारा विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराया जाएगा।

6. इस स्वीकृत्यादेश से वित्त विभाग के पत्रांक 7355 दिनांक 05.10.2007 एवं महालेखाकार बिहार के पत्रांक 877–907 दिनांक 08.11.2007 के आलोक में आवंटन आदेश निर्गत होने के पश्चात् राशि निकासी की जाएगी। अतएव महालेखाकार से प्राधिकार पत्र प्राप्त करना आवश्यक नहीं है।

7. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक तथा राज्य सरकार के अंकेक्षण (वित्त) विभाग को यह अधिकार होगा कि वे इस अनुदान राशि का लेखा का अंकेक्षण करें। अतएव इसके लिए संपूर्ण राशि का लेखा जोखा अलग से रखा जाएगा।

8. निदेशक, उच्च शिक्षा, बिहार, पटना को इसकी सूचना दी जा रही है।

9. इस राशि का विचलन अन्य मदों पर नहीं किया जायेगा।

10. प्रस्ताव में माननीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन,

ह0/–
(अरशद फिरोज)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक 15/एम 1–29/2006 70 पटना, दिनाक 6/11/2018

प्रतिलिपि –विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/वित्त विभाग (स्कीम एवं बजट शाखा)/निदेशक, उच्च शिक्षा/कुलपति, पटना विश्वविद्याल, पटना सह–अध्यक्ष संदर्भित समिति/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/उप सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, उच्च शिक्षा/प्रशाखा पदाधिकारी– 05 एवं 15/रोकड़पाल, उच्च शिक्षा एवं आई0टी0 मैनेजर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

6/11/18
(अरशद फिरोज)
सरकार के उप सचिव